(263)

प्र0क्र0-4057 + 2018/ सतना/ भू0रा0

मानुनीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा.

राज0 निगरानी क्र0/ /018

20रु. Rs.20

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

बीस रुपये TWENTY RUPEES

रामजी गुप्तातनय श्रीलक्ष्मण प्रसादगुप्ता निवासीग्राम मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन जिला सतना, म0प्र0.

-----आवेदक

बनाम

01- रामसुजान तनय रामस्वरूप गुप्ता निवासीग्राम मुकुन्दपुर, तह0 अमरपाटन जिला सतना, म0प्र0

02- शासनम0प्र0

----अनावेदकगण

अधि0श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा पेश 02-7-18

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त ताला, तह0 अमरपाटन जिला सतना दिनांक 26.05.018 जोराजस्वप्र0क्र0 45-अ-6-अ/17-18 मे पारित किया जाकर अमीलॉट का नाम मौजा मुकुन्दपुर कीआराजीक्र0 186/1-ख रकबा 8. 1.020हे0, सविलोपितकर शासनम0प्र0अंकित करनेकाआदेश किया गया।

निगरानी अन्तर्गतधारा50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानीके आधार निम्नलिखित है:-

--------xx------xx---------

§01§ यह कि निर्णय वआदेशअधीनस्थ न्यायालय विधिएवंप्रक्रिया के विपरीत होने सेनिरस्त किए जाने योग्य है।

§02§ यहकिअधीनस्थन्यायालयने प्रश्नाधीन आदेश पारित करनेके पूर्व आवेदक को नतोकिसी भी प्रकार की सूचना दी और न उसकी सुनवाई कीजबकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी राजस्वअभिलेखोमेएक अर्सेसेअभिलिखित था। वआवेदकका प्रश्नाधीन भूमि मेमाकान वनिस्तार थी ऐसी स्थिति मेअधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित प्रश्नाधीन आदेश नैसर्गिक सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त किएजाने योग्य है।

(263)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक **R**–4057 / 18 जिला–सतना

रामजी गुप्ता / राम सुजान गुप्ता

(1)	(2)
5-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 45 / अ–6–अ / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 26.5.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य